WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042023-245529
CG-DL-E-28042023-245529

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2023/वैशाख 8, 1945
No. 112] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2023/VAISAKHA 8, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2023

सं. 12/2023

विषयः वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए भारत–यूएई सीईपीए के तहत प्रशुल्क शीर्ष 7108 के अंतर्गत नए प्रशुल्क दर कोटा आवेदनों के संबंध में।

फा. सं. 01/89/180/01/एएम–22/पीसी–2(ख)/पार्ट–I/ई–35248.—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सार्वजनिक सूचना सं. 06/2015–20 दिनांक 01.05.2022, 23/2015–20 दिनांक 29.08.2022, 28/2015–20 दिनांक 06.10.2022, 32/2015–20 दिनांक 22.10.2022, 47/2015–20 दिनांक 29.12.2022 और 06/2023 दिनांक 17.04.2023 के क्रम में, महानिदेशक विदेश व्यापार एतदद्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए भारत–यूएई सीईपीए के तहत प्रशुल्क शीर्ष 7108 के अंतर्गत प्रशुल्क दर कोटे के लिए आवेदन हेतु प्रक्रिया को निम्नानुसार संशोधित करते हैं:

1. वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए प्रशुल्क शीर्ष 7108 के अंतर्गत प्रशुल्क दर कोटे के लिए नए आवेदनों को इस सार्वजनिक सूचना की तिथि से और दिनांक 07 मई, 2023 तक आंमत्रित किया जाता है।

2. वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए प्रशुल्क शीर्ष 7108 के लिए भारत यूएई सीईपीए के तहत प्रशुल्क दर कोटे हेतु आवेदनों को डीजीएफटी वेबसाइट (*https://dgft.gov.in*) --> आयात प्रबंधन प्रणाली-–>प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किया जाता है।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

3. वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए प्रशुल्क शीर्ष 7108 के तहत टीआरक्यू के लिए सभी आवेदनों पर सार्वजनिक सूचना 06/2023 दिनांक 17.04.2023 के तहत अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुसार विचार किया जाएगा। इस सार्वजनिक सूचना के अनुसरण में प्राप्त होने वाले नए आवेदनों पर प्रशुल्क शीर्ष 7108 के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कुल 140 मीट्रिक टन के टीआरक्यू आवंटन के लिए प्राप्त हो चुके पहले के आवेदनों के साथ विचार किया जाएगा।

4. आवंटन का न्यूनतम लॉट आकार सामान्य रूप से 5 किलोग्राम होगा और पात्र आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में इसे संशोधित कर कम किया जा सकता है। आवंटन न्यूनतम लॉट आकार के गुणकों में किया जाएगा और इस मात्रा से कम या उसके बराबर होगा जैसा कि आवेदक अनुरोध करते हैं।

5. उक्त टीआरक्यू आवंटन 6 माह की समीक्षा के अधीन होगा। ऐसे मामलों में जहां टीआरक्यू उपयोग उक्त समीक्षा प्रक्रिया में <= 25% पाया जाता है, शेष टीआरक्यू मात्रा का 50% अभ्यर्पित माना जाएगा और उन पर अन्य टीआरक्यू आवंटियों को पुनः आवंटन के लिए विचार किया जाएगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए भारत – यूएई सीईपीए के तहत प्रशुल्क शीर्ष 7108 के अंतर्गत आयातों हेतु प्रशुल्क दर कोटे के लिए नए आवेदनों को इस सार्वजनिक सूचना की तिथि से दिनांक 07 मई, 2023 तक आमंत्रित किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं

पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi the 28th April, 2023

No. 12 /2023

Subject: New TRQ Applications under tariff head 7108 under India-UAE CEPA for FY 2023-24 –reg.

F. No. 01/89/180/01/AM-22/PC-2[B]/Part-I/E-35248.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023 and in continuation to Public Notice No. 06/2015-20 dated 01.05.2022, 23/2015-20 dated 29.08.2022, 28/2015-20 dated 06.10.2022, 32/2015-20 dated 22.10.2022, 47/2015-20 dated 29.12.2022and 06/2023 dated 17.04.2023, the Directorate General of Foreign Trade hereby amends the procedures for application for TRQ under tariff head 7108 under India-UAE CEPA for FY 2023-24 as under:

1. New applications for TRQ under tariff head 7108 for FY 2023-24 are invited from the date of this Public Notice and up to 7th May 2023.

2. Applications for TRQ under India-UAE CEPA for the tariff head 7108 for FY 2023-24 are invited online through the DGFT website (https://dgft.gov.in) --> Import Management System -->Tariff Rate Quota (TRQ).

3. All applications for TRQ under tariff head 7108 for FY 2023-24 shall be considered as per the guidelines notified vide Public Notice 06/2023 dated 17.04.2023. New applications that may be received pursuant to this Public Notice shall be considered together with the earlier applications already received for TRQ allocation of a total of 140 MTs under tariff head 7108 for FY 2023-24.

4. The minimum lot size of allocation shall be 5 kgs ordinarily and, shall be subject to a downward revision in case the number of eligible applicants is higher. Allocation shall be made in multiples of the minimum lot size and shall be less than or equal to the quantity as requested by the applicant.

5. The said TRQ allocation shall be subject to a 6-monthly review. In cases where the TRQ utilisation is found to be <= 25% in the said review process, 50% of the balance TRQ quantities shall be deemed to be considered as surrendered and shall be considered for re-allocation to other TRQ Allottees.

Effect of this Public Notice: New applications for TRQ for imports under tariff head 7108 under India-UAE CEPA for FY 2023-24 are invited from the date of this Public Notice up to 7th May 2023.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade &

Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.